HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 495/2026

Ramavtar S/o Gopiram, R/o Village Pujari Ka Bas Bassi Tehsil Khandela, District Sikar. (At Present Confined At District Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girraj P Sharma with Mr. Vivek Joshi Ms. Sneha Gulati Ms. Shruti Chandgothia
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP with Mr. Shubham Sain, AAAG

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना शाहपुरा, जिला–जयपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 25 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से 08 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद होना बताया गया है, जबकि उक्त डोडा पोस्त होटल से बरामद किया गया है। उनका तर्क है कि जिस होटल से उक्त डोडा पोस्त बरामद हुआ है, उसका स्वामी प्रार्थी–अभियुक्त का भाई राजेन्द्र है। उनका तर्क है कि उक्त होटल से प्रार्थी–अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि सहअभियुक्त राजेन्द्र को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है तथा

अनुसंधान से भी उसी के होटल मालिक होने का तथ्य सामने आया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के छह अन्य आपराधिक प्रकरण बताए गए हैं, जिनमें से दो में वह दोषमुक्त हो चुका है और एक प्रकरण एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित है, जिस में वह धारा 8/29 एनडीपीएस के अपराध का आरोपी है और वह मामला 3 किलो डोडा पोस्त से संबंधित है। उनका तर्क है कि अन्य प्रकरण में अनुसंधान के दौरान ही सहअभियुक्त द्वारा सूचना देने पर उक्त होटल से मादक–पदार्थ बरामद होना बताया गया है। प्रकरण में आरोप–पत्र पेश हो चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 18.12.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य के होटल से उक्त मादक–पदार्थ बरामद हुआ है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने पूर्व में भी अन्य प्रकरण के अभियुक्त को डोडा पोस्त विक्रय किया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त उक्त होटल का मैनेजर है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के छह आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं। अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण 08 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त की बरामदगी से संबंधित है, जो वाणिज्यिक मात्रा 50 किलो से कम है। प्रार्थी दिनांक 18.12.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं

पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /31